period, there was no major gap between demand and availability of melting scrap due to import of steel scrap.

(d) An increase of approximately 6 per cent and 20 per cent was registered in the prices of indigenous and imported scrap (landed cost) during 1986-87 to 198788. During the same period the billet prices increased by approximately 18 per cent. Hence there was no adverse impact on functioning of mini steel industry due to increase in cost of scrap prices.

(e) Does not arise.

Victimisation of JEs of CPWD

2307. SHRI M. A. BABY:
SHRI MOHAMMAD AMIN:
SHRI MOSTAFA BIN QUASEM:
SHRI SUKOMAL SEN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government had agreed that there would be no victimisation of the Junior Engineers of C.P.W.D. for their participation in indefinite strike; and

(b) whether it is also a fact that due to participation in strike their annual increment has been defered by 37 days and this period has not been counted as qualifying service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, it was agreed that there would be no victimisation of Junior Engineers who had gone on strike (during 14-7-87 to 20-8-87).

(b) The period of strike in which Junior Engineers of CPWD praticipated, has been treated as dies-non' without entailing forfeiture of their past service. This has resulted in the postponement of the date of increment in their cases.

कृषि श्रमिकों संबंधी उप समिति की सिफारिशें

2308. **श्री एन० ई० बलराम :**
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री चित्त बसु :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनक मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की उपसमिति ने ग्रामीण/कृषि श्रमिकों की हालत में सुधार करने के लिये कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिय केन्द्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दूबे) : (क) और (ख) जी, हां। उप समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं। [देखिये परिशिष्ट CXLVII अनुपत्र संख्या 100]

(ग) से (ङ) कुछ सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है और उन्हें सभी राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है। व सिफारिशें, जो अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं, उन्हें विचारार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गयी है। न्यूनतम मजदूरी और बंधुआ श्रमिकों के बारे में कई सिफारिशें सरकार की उन नीतियों तथा कार्यक्रमों के सदृश्य हैं जिनके बारे में पहले से ही अनुदेश विद्यमान हैं और उन्हें दोहराया गया है। सरकार ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की नियुक्ति की है और ग्रामीण श्रमिकों की जिनमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं, समस्याओं के बारे में परामर्श देगा।